

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

31-2020/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2020 (PHALGUNA 8, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 27th February, 2020

No. 12-HLA of 2020/24/3799.— The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 12- HLA of 2020.

THE INDIAN STAMP (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

- 1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Haryana Amendment) Act, 2020.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2.** For section 47-A of the Indian Stamp Act, 1899 (hereinafter called the principal Act), the following sections shall be substituted, namely:-

"47-A. Instruments under-valued how to be dealt with.- (1) If the market value of any property, which is the subject of any instrument on which duty is chargeable on market value as set forth in such instrument, is less than the minimum value determined in accordance with the rules made under this Act, the Registering Officer appointed under the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), shall after registering the instrument, refer the same to the Collector for determination of market value of such property and the proper duty payable thereon.

(2) On receipt of reference under sub-section (1), the Collector shall, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard and after holding an enquiry in such manner, as may be prescribed by rules, determine the market value of the property and the duty as aforesaid, and the deficient amount of duty, if any, shall be payable by the person liable to pay the duty.

Short title and commencement.

Substitution of section 47-A to Central Act 2 of 1899

- (3) The Collector may, suo motu or on receipt of reference from the Inspector-General of Registration or the Registrar of a district appointed under the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908) in whose jurisdiction the property, or any portion thereof, which is the subject matter of th instrument, is situated, or on the receipt of a report of audit by the Comptroller and Auditor General of India or by any other authority authorized by the State Government in this behalf or otherwise, shall within three years from the date of registration of any instrument, not already referred to him under sub-section (1), call for and examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of its market value, and the duty payable thereon and if, after such examination, he has reason to believe that the market value has not been truly set forth in the instrument, he may determine the market value and the duty, as aforesaid, in accordance with the procedure provided for in sub-section (2) and the deficient amount of duty, if any, shall be payable by the person liable to pay the duty.
- (4) Any person, aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or sub-section (3), may, within thirty days from the date of the order, prefer an appeal before the Commissioner and all such appeals shall be heard and disposed of in such manner, as may be prescribed by rules made under this Act:

Provided that in computing the period aforesaid, the time requisite for obtaining a copy of the order appealed against, shall be excluded:

Provided further that no order shall be passed without affording opportunity of being heard to the appellant.

- (5) The order passed in appeal under sub-section (4) and the order passed by the Collector under sub-section (2) or sub-section (3) shall not be called into question in any Civil Court.
- "47-B. Functions of Chief Controlling Revenue Authority.- (1) The Chief Controlling Revenue Authority may at any time call for the record of any appeal pending before, or disposed of by the Commissioner.
- (2) The Chief Controlling Revenue Authority under sub-section (1) in any appeal called for under sub-section (1), may examine and pass such orders as he thinks fit:

Provided that he shall not under this section pass an order reversing or modifying any proceeding or order of the Commissioner and affecting any question of right without giving an opportunity of being heard to the affected party.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This amendment in section 47-A of the Indian Stamp Act, 1899 is required in view of the amendment which was made vide Haryana Act No.21 of 1997 *vide* which the words "District Judge" was substituted by the words "the Commissioner of the Division" for appeals against the order of Collector under section 47-A of the Indian Stamp Act, 1899. Further, providing provision of calling for, examining and revising proceedings of Commissioner to the Chief Controlling Revenue Authority, Haryana against its order under section 47-A of the said Act is necessary in State revenue as well as in public interest and to prevent leakage of stamp duty in undervalued instruments of transfer of property.

Hence, this Bill.

DUSHYANT CHAUTALA, Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh: The 27th February, 2020.

R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 12-एच०एल०ए०

भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2020 भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ। 1.

- (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

1899 के केन्द्रीय अधिनियम 2 की धारा 47—क का प्रतिस्थापन। 2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 47—क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"47—क. कम मूल्य की लिखतें कैसे निपटाई जानी हैं.— (1) यदि किसी सम्पित्त का बाजार मूल्य, जो किसी लिखत की विषयवस्तु है, जिस पर शुल्क, ऐसी लिखत में बताए गए बाजार मूल्य पर प्रभार्य है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित न्यूनतम मूल्य से कम है, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लिखत को रजिस्ट्रीकृत करने के बाद, उसे ऐसी सम्पित्त के बाजार मूल्य तथा उस पर भुगतानयोग्य उचित शुल्क के अवधारण के लिए कलक्टर को भेजेगा।

- (2) उप—धारा (1) के अधीन संदर्भ की प्राप्ति पर, कलक्टर पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के बाद तथा ऐसी रीति, जो नियमों द्वारा विहित की जाए, में कोई जांच करने के बाद, सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा यथा पूर्वोक्त शुल्क का अवधारण करेगा तथा शुल्क की कम राशि, यदि कोई हो, शुल्क के भुगतान हेतु दायी व्यक्ति द्वारा भुगतानयोग्य होगी।
- (3) कलक्टर, स्वःप्रेरणा से या रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन नियुक्त रिजस्ट्री—महानिरीक्षक या जिले के रिजस्ट्रार से संदर्भ की प्राप्ति पर जिसकी अधिकारिता के भीतर सम्पत्ति, या उसका कोई भाग, जो लिखत की विषयवस्तु है, स्थित है या भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त या अन्यथा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संपरीक्षा की रिपोर्ट की प्राप्ति पर, उप—धारा (1) के अधीन उसे पूर्व में नहीं भेजे गए किसी लिखत के रिजस्ट्रीकरण की तिथि से तीन वर्ष के भीतर इसके बाजार मूल्य, तथा उस पर भुगतानयोग्य शुल्क के सहीपन बारे अपनी स्वयं की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए लिखत की मांग तथा परीक्षण कर सकता है तथा यदि ऐसे परीक्षण के बाद उसे विश्वास करने का कारण है कि लिखत में बाजार मूल्य ठीक नहीं बताया गया है, तो वह उप—धारा (2) में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार बाजार मूल्य तथा यथा पूर्वोक्त शुल्क का अवधारण कर सकता है; तथा शुल्क की कम राशि, यदि कोई हो, शुल्क के भूगतान हेत् दायी व्यक्ति द्वारा भूगतानयोग्य होगी।
- (4) उप–धारा (2) अथवा उप–धारा (3) के अधीन कलक्टर के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर, आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है तथा ऐसी सभी अपीलें ऐसी रीति, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं, में सुनी जाएंगी और निपटायी जाएंगी:

परन्तु उपरोक्त अवधि की संगणना करने में आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई, की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय निकाल दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील में पारित आदेश तथा उप–धारा (2) अथवा उप–धारा (3) के अधीन कलक्टर द्वारा पारित आदेश किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

47—ख. मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के कृत्य.— (1) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, आयुक्त के समक्ष लम्बित या निपटाई गई किसी अपील के अभिलेख किसी भी समय मांग सकता है।

(2) उप—धारा (1) के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, उप—धारा (1) के अधीन मांगी गई किसी अपील का परीक्षण कर सकता है और ऐसे आदेश, जो वह उचित समझे, पारित कर सकता है:

परन्तु वह इस धारा के अधीन आयुक्त की किसी कार्यवाही या आदेश को परिवर्तित करने वाले या उपांतरित करने वाले और अधिकार संबंधी किसी प्रश्न को प्रभावित करने वाले कोई भी आदेश प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47—क में यह संशोधन उस संशोधन के मद्देनजर आवश्यक है, जिसे 1997 के हिरयाणा अधिनियम 21 से बनाया गया था। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47—क के तहत कलैक्टर के आदेश के खिलाफ अपील के लिए जिसे "जिला न्यायाधीश" शब्द के स्थान पर "मण्डल के आयुक्त" शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अलावा मुख्य नियंत्रण राजस्व प्राधिकारी, हिरयाणा को आयुक्त की कार्यवाही की जांच करने और संशोधित करने का प्रावधान प्रदान करना। उक्त अधिनियम की धारा 47—क के तहत अपने आदेश के खिलाफ राज्य के राजस्व के साथ—साथ सार्वजिनक हित में और सम्पत्ति के हस्तांतरण के कम मूल्यांकन दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए संशोधन आवश्यक है

इसलिए यह बिल।

दुष्यंत	चौटाला,
	ख्यम न् त्री,
हरियाणा ।	

चण्डीगढ़ : दिनांक 27 फरवरी, 2020. आर0 के0 नांदल, सचिव।

8712—H.V.S.—H.G.P., Pkl.